भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4829

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी विकास क्षेत्र में चुनौतियां

4829. श्री जिया उर रहमानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शहरी विकास क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से अवगत है जिनमें आवास परियोजनाओं के पूरा होने में देरी, अपर्याप्त शहरी बुनियादी डांचा, शहरी जीवन की बढ़ती लागत और टियर-1 तथा टियर-2 शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) जैसी योजनाओं के तहत उठाए जा रहे कदमों और डिजिटल गवर्नेस के माध्यम से सतत शहरी गतिशीलता, किफायती आवास और जीवन को आसान बनाने की पहल संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) के उपबंधों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों अर्थात प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2.0, शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिज़ाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/ज़िलों को निधियां जारी करती हैं।

<u>पीएमएवाई-यू:</u> 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के शहरी पात्र लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। पीएमएवाई-यू एक मांग-आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवास निर्माण के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग के आधार पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार किए हैं और स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 2.30 लाख करोड़ रु. की अनुमानित सरकारी सब्सिडी के साथ एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता की जा सके। आवासों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा अनिवार्य है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम हिस्से के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप शेयर भी प्रदान कर सकती है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में माँग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता निर्धारित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। पात्र नागरिकों को पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपनी माँग भी दर्ज कर सकते हैं। योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आवासों को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति

(एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए विचार हेतु केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को अग्रेषित किया जाता है।

एससीएम: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्मार्ट मोबिलिटी, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य (वाश), स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के आधार पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों का विकास किया गया है, जिन्हें राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

31 जुलाई, 2025 तक, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत चुने गए 100 शहरों में, 1,64,695 करोड़ रु. की कुल 8,063 परियोजनाओं में से, 1,53,977 करोड़ रु. की 7,636 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अमृत 2.0: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू की गई है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सके। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

1,94,172.99 करोड़ रु. की 8,873 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 1,18,421.92 करोड़ रु. की 3,571 जलापूर्ति परियोजनाएं, 68,461.78 करोड़ रु. की 586 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 6,210.66 करोड़ रु. की 3,032 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं और 1,078.63 करोड़ रु. की 1,684 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

अनुमोदित परियोजनाओं में 178 लाख नए जल नल कनेक्शन, 69 लाख नए सीवर कनेक्शन, 11,271 एमएलडी की जल शोधन क्षमता का विकास और 6,964 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता शामिल है।

शहरी परिवहन: वर्तमान में, देश भर के 24 शहरों में लगभग 1,055 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क (55 किलोमीटर आरआरटीएस नेटवर्क सहित) चालू है। जून 2024 से अब तक, भारत सरकार ने लगभग 240 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के निर्माण हेतु 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली मेट्रो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। देश में प्रतिदिन 1.1 करोड़ यात्री मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं।

पीएम-ई-बस सेवा योजना: 16 अगस्त, 2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) देकर शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है। योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 3-40 लाख की आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियां इस योजना में भाग लेने की पात्र हैं।

एसबीएम-यू: शहरी आबादी की स्वच्छता संबंधी मांग को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा से मुक्त (ओडीएफ) और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वयैक्तिक घरेलू शौचालय (आईएचएचएल), सामुदायिक शौचालय (सीटी)/सार्वजनिक शौचालय (पीटी) का निर्माण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान, स्रोत पृथक्करण के माध्यम से पुराने कचरा स्थलों का निपटान करने के साथ-साथ कचरे के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करना है। इसमें सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), स्थानांतरण स्टेशन, अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्र, अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट संयंत्र, सैनिटरी लैंडफिल, मशीनीकृत सफाई उपकरण और पुराने कूड़ा स्थलों का जैविक निपटान जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय हिस्से की सहायता जारी करना शामिल है।

एसबीएम-यू के अंतर्गत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 62,009 करोड़ रु. है, जिसमें 14,623 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रु. है, जिसमें 36,465 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन: शहरी क्षेत्र में डिजिटल शासन जी2सी (सरकार से नागरिक तक) सेवाओं तक आसान, समय पर और परेशानी मुक्त मल्टी-चैनल पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे भौतिक यात्राओं पर निर्भरता कम होती है। भुगतान, आवेदन, शिकायत निवारण और अन्य जी2सी सेवाओं को एकीकृत प्लेटफार्मों में एकीकृत करके, यह सशक्त सेवा स्तर सहमति (एसएलए) का अनुपालन, वास्तविक समय में निगरानी और अधिक पारदर्शिता को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के अंतर्गत, उपयोग (ऑनलाइन शासन प्रदायगी शहरी मंच) एक साझा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में कार्य करता है, जो बहुत-सी रेडी-टू-यूज शहरी सेवाएं प्रदान करता है।

***